पत्र संख्या–11/आ0–विविध–02/2012 सा0प्र0 928

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग।
परीक्षा नियंत्रक, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती), पटना।

पटना–15, दिनांक– 25-1-17

विषय :– जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की मूल प्रति आवेदक/उम्मीदवार को वापस करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि व्यवहारिक तौर यह पाया गया है कि आवेदक/उम्मीदवार द्वारा किसी प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किये गए जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की मूल प्रति विभागों/कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों द्वारा रख लिया जाता है, जिससे आवेदक को पुनः प्रमाण–पत्र बनवाना पड़ता है।

आवेदक को मूल प्रमाण–पत्र वापस किये जाने संबंधी प्रावधान पूर्व से ही विभागीय परिपत्र संख्या–1236 दिनांक–03.03.2008 द्वारा परिचारित है।

अतः अनुरोध है कि विभागीय परिपत्र संख्या–1236 दिनांक–03.03.2008 के प्रावधानुसार आवेदक के जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की मूल प्रति आवेदक को वापस कर दिया जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय तथा इस संबंध में अपने अधीनस्थ कार्यालयों को यथाशीघ्र अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

25/1/2017

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D/NAVLESH HINDI LETTER

PTO

पत्र संख्या–11/वि०5–न्याय–09/98 का०–1236

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री आमिर सुबहानी,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/विभागाध्यक्ष।

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति।

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांक 3 मार्च, 2008

विषय– जाति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति आवेदक/उम्मीदवार को वापस करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि व्यवहार में यह पाया जाता है कि आवेदक/उम्मीदवार द्वारा किसी प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति विभाग/कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा रख लिया जाता है, जिससे आवेदक को अगले उपयोग के लिए पुनः जाति प्रमाण–पत्र बनवाना पड़ता है।

चूँकि किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलती है अतएव एक बार निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की मान्यता सभी विभाग/कार्यालय/शिक्षण संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए तथा जाति प्रमाण–पत्र की सम्पुष्टि के उपरान्त इसे आवेदक को वापस किया जाना चाहिए।

अतः आरक्षित वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक बार निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मान्यता सभी विभाग/कार्यालय/शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा दी जाय तथा किसी प्रयोजन से उनके जाति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता हो तो जाति प्रमाण–पत्र की सम्पुष्टि के उपरान्त प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति रखते हुए मूल प्रमाण–पत्र आवेदक को निश्चित रूप से शीघ्र वापस कर दिया जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय एवं उक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को शीघ्रातिशीघ्र अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

आमिर सुबहानी

सरकार के सचिव।